राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 318/2010/सीकर

मैंसर्स देहली कुचामन सीकर गोल्डन ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, रींगस .....**अपीलार्थी**

बनाम्

वाणिज्यक कर अधिकारी, सीकर .....**प्रत्यर्थी.**

एकलपीठ
मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस.के. जैन
अभिभाषक। .....**अपीलार्थी की ओर से.**

श्री रामकरण सिंह
उप–राजकीय अभिभाषक। .....**प्रत्यर्थी की ओर से.**

निर्णय दिनांक : 01.03.2016

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ, वाणिज्यक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा गया है) द्वारा अपील सं. 208/अपील्स–चतुर्थ/09–10/सीकर (पुरानी अपील सं. 36/RVAT/NRD/08–09/सीकर) में पारित निर्णय दिनांक 01.02.2010 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :–

1. वाणिज्यक कर अधिकारी, सीकर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा गया है) द्वारा अपीलार्थी–व्यवहारी के रींगस में खाटू मोड़ स्थित गोदाम का भौतिक सत्यापन दो मौतबीर गवाहों की उपस्थिति में उपायुक्त (प्रशासन) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर एवं उपायुक्त (प्रशासन) प्रतिकरापवंचन, वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर के निर्देश पर किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन पर पाये गये माल की अलग से फर्द बनाई गई। भौतिक सत्यापन पर पाये गये माल का अपीलार्थी–व्यवहारी ने मौके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। अपीलार्थी– व्यवहारी ने मौके पर यह बताया कि उसके मुनीम श्री महेश के पास उक्त माल के दस्तावेज है। श्री महेश के परिवार में मृत्यु हो जाने के कारण वह माल के दस्तावेज पेश नहीं कर सकता। अपीलार्थी–व्यवहारी के द्वारा मौके पर भौतिक सत्यापन पर पाये गये माल के दस्तावेज पेश नहीं करने पर उक्त माल को कर निर्धारण अधिकारी ने नियम 56(3) के तहत् अभिग्रहित किया जिसे

लगातार.....2

01/03/16

अपीलार्थी–व्यवहारी के द्वारा दिनांक 05.05.2007 को दो पंजीकृत व्यवहारियों की प्ररूप वैट–64 में रूपये 5,00,000/–की जमानत पेश करने पर रिलीज कर दिया गया।

कर निर्धारण अधिकारी ने भौतिक सत्यापन पर पाये गये माल के दस्तावेज पेश करने हेतु अपीलार्थी–व्यवहारी को नोटिस के लिए कई नोटिस जारी किये। नियत पेशी दिनांक 15.06.2007 पर अपीलार्थी–व्यवहारी के द्वारा भौतिक सत्यापन पर पाये गये माल के दस्तावेज पेश किये गये। इस संबंध में कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी–व्यवहारी को स्पष्टीकरण पेश करने के लिए दिनांक 25.06.2007 की पेशी नियत की, जिसकी पालना में श्री विजेन्द्र सिंह उपस्थित हुए परन्तु कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा सुनवाई नहीं की जा सकी क्योंकि उस समय वसूली अभियान चल रहा था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कई बार नोटिस जारी किये गये। दिनांक 31.03.2008 की पेशी पर अपीलार्थी–व्यवहारी की ओर से नोटिस का लिखित जवाब पेश किया गया। जिसके साथ कुछ व्यवहारियों के शपथ–पत्र एवं लेजर अकॉउण्ट की फोटो प्रतियॉ पेश की गईं। इस संबंध में कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी–व्यवहारी को पुनः दिनांक 16.04.2008 की पेशी का अन्तिम नोटिस जारी किया गया, परन्तु नोटिस की पालना में अपीलार्थी–व्यवहारी स्वयं या उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ और न ही स्थगन प्रार्थना पत्र ही पेश किया गया। अतः कर निर्धारण अधिकारी के पास सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के आधार पर एकतरफा कर निर्धारण आदेश पारित करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा।

कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी–व्यवहारी के द्वारा दिनांक 31.03.2008 की पेशी पर प्रस्तुत किये गये जवाब जिसके साथ कुछ व्यवहारियों के शपथ पत्र एवं लेजर अकॉउण्टस की प्रतियां पेश की गई जिसका अवलोकन करके तथा भौतिक सत्यापन पर पाये गये माल की फर्द से दिनांक 15.06.2007 को पेश किये गये दस्तावेजों का मिलान किया, जिसमें पाया कि अपीलार्थी–व्यवहारी के द्वारा भौतिक सत्यापन पर पाये गये कॉपर वायर का दस्तावेज पेश नहीं करके पी.वी.सी. वायर का दस्तावेज पेश किया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा यह भी पाया कि अपीलार्थी–व्यवहारी ने कुछ माल का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिस पर कर निर्धारण अधिकारी ने बिना दस्तावेजों के पाये गये माल की अलग से लिस्ट बनाई। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त माल का बाजार भाव से मूल्यांकन करने पर कर योग्य माल रूपये 1,24,864/–पर 4 प्रतिशत से कर रूपये 4,995/–कर, रूपये 1,24,864/–पर 30 प्रतिशत से शास्ति रूपये 37,459/–तथा कर योग्य माल रूपये 1,24,864/–पर 12.5

01/03/16

लगातार.....3

प्रतिशत से कर रूपये 10,316/–,रूपये 82,530/–पर 30 प्रतिशत से शास्ति रूपये 24,759/– आरोपित की जाकर कुल मांग रूपये 77,529/–कायम की।

2. अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी–व्यवहारी को सुनने एवं रेकॉर्ड का परीक्षण करने के उपरान्त अपीलार्थी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर भौतिक सत्यापन में पाये गये सामान के बिल/बिल्टी का मिलान व्यवहारी द्वारा करवाये जाने वाले माल को कर एवं शास्ति से मुक्त कर दिया। परन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा शेष सामान पर आरोपित शास्ति रूपये 54,118/–एवं कर रूपये 14,027/–की यथावत रखा गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 01.02.2010 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. जैन एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री रामकरण सिंह, उपराजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी द्वारा कर एवं शास्ति को यथावत रखने के आदेश को उचित नहीं बताया। आदेश भी स्पष्ट (Speaking) नहीं होना बताया। विभाग के अधिकृत प्रतिनिध ने बहस में कहा कि भौतिक सत्यापन के दौरान जो माल की फर्द व्यवहारी की उपस्थिति में तैयार कर हस्ताक्षर की गयी थी, उसमें से जिस सामान के बिल व्यवहारी प्रस्तुत नहीं कर सका; उक्त सामान पर ही सक्षम अधिकारी ने कर देयता एवं शास्ति आरोपित की है। व्यवहारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। अतः अपील अस्वीकार योग्य है।

4. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया। दिनांक 17.04.2007 को सशक्त अधिकारी ने दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में व ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के मालिक श्री विजेन्द्र सिंह की उपस्थिति में गोदाम व कार्यालय में उपलब्ध माल का भौतिक सत्यापन कर पाये गये माल की सूची तैयार की। उक्त सूची पर सत्यापन टीम के सदस्यो एवं गोदाम मालिक के हस्ताक्षर अंकित है। अपीलार्थी–व्यवहारी को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा एक वर्ष का पर्याप्त समय दिया गया। भौतिक सत्यापन में तैयार सूची के माल में से कुछ माल के कोई दस्तावेज व्यवहारी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। फर्द की क्रम सं. 8 पर Jaypee कॉपर वायर अनुमानतः 180 किलो अंकित है। इस माल का कोई दस्तावेज व्यवहारी ने प्रस्तुत नहीं किया। इसके स्थान पर पी.वी.सी. वायर का बिल प्रस्तुत किया। जो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा असन्तोषजनक एवं असम्बन्धित होने से अस्वीकार कर दिया।

चुंकि अपीलार्थी–व्यवहारी को भौतिक सत्यापन में पाये गये माल के वांछित

01/03/16

लगातार.....4

दस्तावेजात प्रस्तुत करने हेतु 1 वर्ष का समय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया एवं इतनी लम्बी अवधि में भी वह कुछ माल के उचित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त बिना बिल के माल पर कर एवं शास्ति आरोपण कर कोई अनियमितता नहीं की है। इसी तथ्य को अपीलीय अधिकारी ने स्थापित किया है। अपीलार्थी–व्यवहारी अपीलीय अधिकारी के समक्ष भी शेष माल के दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहें। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य